

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र. /लोकसभा /2019/ 106

दिनांक: 21/2/19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख अधिकारी,  
राजस्थान

विषय:- मतदान दलों एवं चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ. 8 (8) (7) निर्वा / 2019 / 1446 जयपुर दिनांक 18.02.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अगामी लोकसभा आम चुनाव 2019 के मतदान दलों में राज्य के विभिन्न विभागों/निकायों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस बल, केन्द्रीय पुलिस बल, होम गार्डस एवं फोरेस्ट गार्डस बड़ी संख्या में नियुक्त किये जायेंगे सुरक्षा कर्मी पूर्व फिल्ड में तैनात किये जायेंगे और मतदान दलों के साथ भी तैनात रहेंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मतदान दलों के सदस्य एवं चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त सुरक्षाकर्मी यदि अपनी निर्वाचन ड्यूटी के दौरान बीमार या घायल हो जाता है तो उसको तुरंत चिकित्सा सुविधा एवं समुचित उपचार की निःशुल्क व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करे।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 21/2/19

क्रमांक /चि.प्र. /लोकसभा /2019/ 106

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज सम्बन्धित चिकित्सालय, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को मेल व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करावे।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर